# बिरहोर

## एक विशेष पिछड़ी जनजाति

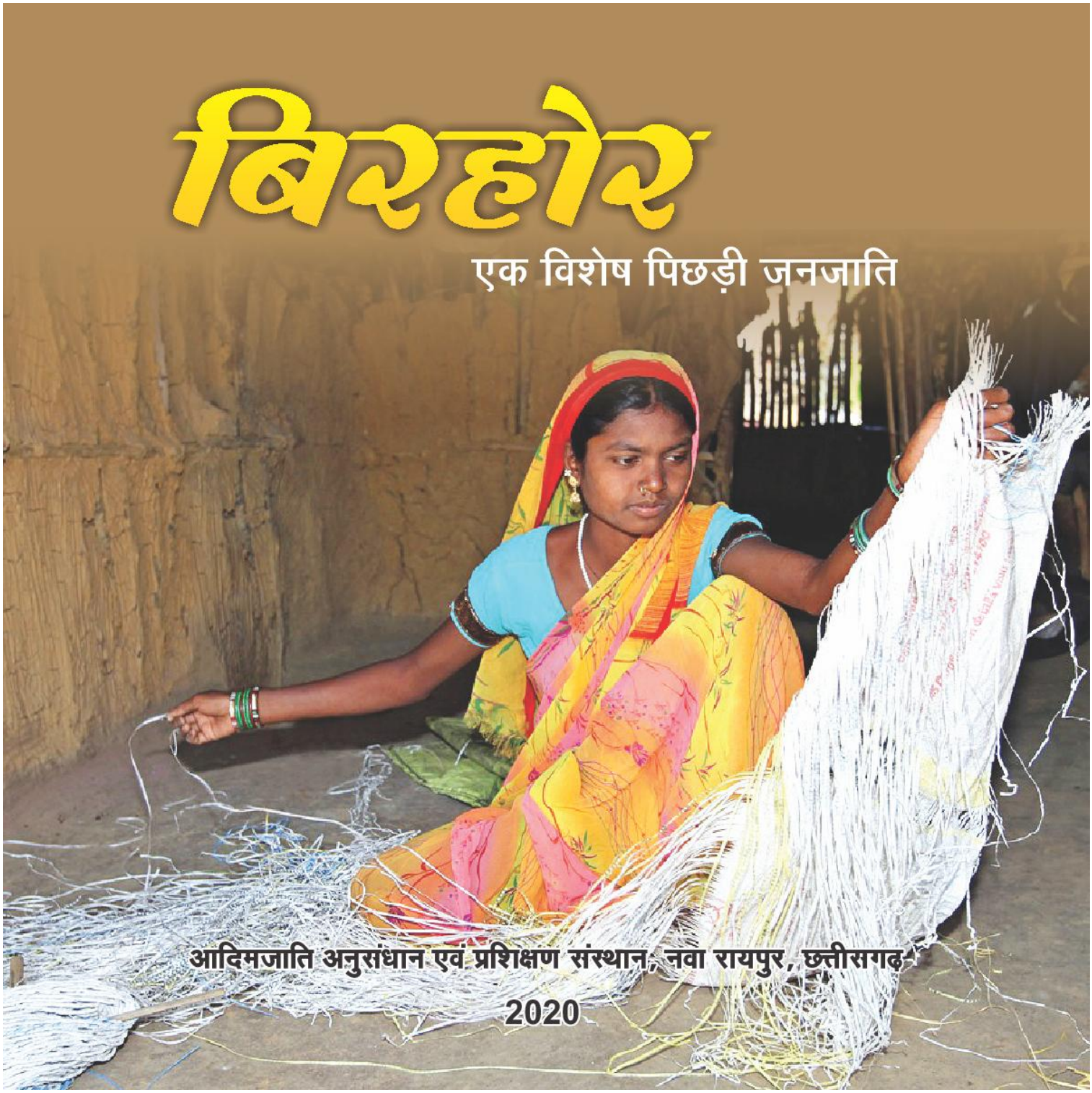

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

2020

# प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ निश्चित जनजातीय समुदायों को विशिष्ट मापदण्डों यथा **स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन** के आधार पर देश में 75 जनजातीय समुदयो को विशेष पिछड़ी जनजाति (Particularly Vulnerable Tribal Groups) घोषित किया गया है।जिसमें से बिरहोर छत्तीसगढ़ राज्य की 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति है।

बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर जिले में प्रमुखता से निवासरत है। इनमें मोनियल गातिया, बदर गातिया, बघेल, बाड़ी, कछुआ, छतोर, सोनवानी व मुरिहार आदि गोत्रनाम पाये जाते है, यह पितृवंशीय समुदाय है।इनमें सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है।

बिरहोर जनजाति की अर्थ व्यवस्था मुख्यत: जंगली कंदमूल, वनोपज संकलन, मोहलाईन झाल से रस्सी निर्माण के साथ–साथ कृषि, मजदूरी पर आधारित है। इनमें सूरजदेव, बूढ़ीमाई, मरीमाई, पूर्वज पहाड़ आदि प्रमुख देवी–देवता है। नवाखानी, सरहुल, सोहराई, करमा, छेरता प्रमुख त्यौहार है। लोककला मे करमा नाच, बिहाव नाच, करमागीत आदि प्रमुख है।

शासन द्वारा इनके समग्र विकास हेतु बिरहोर विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठ गठित कर विभिन्न विकासमूलक योजनाएं संचालित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के **''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला''** के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **बिरहोर जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते है कि, संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वाले लोगों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

**शम्मी आबिदी IAS**
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

**डी.डी.सिंह IAS**
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

# बिरहोर

## एक विशेष पिछड़ी जनजाति

मार्गदर्शन – शम्मी आबिदी, संचालक

प्रस्तुतिकरण – उषा लकड़ा

सहयोग – रूपेश्वर सिंह



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

# परिचय

बिरहोर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि बिर का अर्थ जंगल तथा होर का अर्थ आदमी होता है। बिरहोर पहाड़ों ओर जंगलों में एकान्त जीवन बिताने वाले लोग होते है। बिरहोर जनजाति के संबंध में मान्यता है कि ये जिस पेड़ को छू देते है उस पर कभी बंदर नही चढ़ता है। इन्हे शारीरिक बनावट के आधार पर **''प्रोटो–आस्ट्रेलाईट''** समूह का माना जाता है।

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायों एवं उसके उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य करते हुए उनमें से 5 अनुसूचित जनजाति समूहों को विशिष्ट लक्षण आधारित मापदण्ड **यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन** के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है जिसमें से बिरहोर अनुसूचित जनजाति एक है।

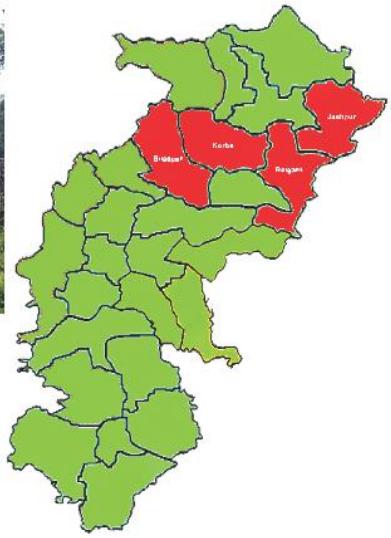


भारत की जनगणना 2011 अनुसार बिरहोर जनजाति की कुल जनसंख्या 3104 है, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1526 तथा महिलाओं की जनसंख्या 1578 है। इनमें लिंगानुपात 1034 है। इसमें कुल साक्षरता दर 31.70 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता दर 40.30 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता दर 23.38 प्रतिशत है।

बिरहोर छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, रायगढ़, कोरबा तथा बिलासपुर जिले में निवासरत् है। ये राज्य के 15 विकासखण्डों यथा कोरबा, पोड़ी उपरोड़ा, करतला, पाली, बगीचा, दुलदुला, कांसाबेल, कुनकुरी, पत्थलगांव, धरमजयगढ, घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, कोटा एवं मस्तूरी में बिखरे हुए पर्वतीय क्षेत्र में एवं दूर–दूर निवासरत् है।

# उत्पत्ति एवं निवास

बिरहोर में मान्यता है कि वे ''खाखार'' एक ही जाति के हैं सूर्य भगवान द्वारा इन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया गया ये सात भाई थे जो खैरागढ़ (कैकुर की पहाड़ी) में आकर गिरे।

चार भाई पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किए जबकि तीन भाई जशपुर एवं रायगढ़ जिले में आकर बस गये। रायगढ़ जिले में रहते हुए एक बार राजा से युद्ध करने के लिए गये जब ये तीनों भाई जा रहे थे तब उनमें से एक भाई के सिर का कपड़ा पेड़ में अटक गया। जिस भाई का कपड़ा पेड़ में अटका उसे अशुभ लक्षण मानते हुए वह जंगल की ओर चला गया। शेष दोनों भाई राजा को युद्ध में परास्त कर वापस घर लौटते समय अपने भाई को जंगल में पेड़ से रस्सी निकालना कहते हुए दोनों भाई उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बिरहोर अर्थात **जंगल का आदमी** या **चोल काटने वाला** कहकर पुकारने लगे। इस पर उस भाई ने जवाब में कहा कि हां मैं बिरहोर हूं और ऐसा कहते हुए अपने दोनों भाईयों से अलग जंगल में रहने लगा और जंगल

का मालिक कहलाया।

बिरहोर जनजाति का ग्राम मूल ग्राम से अलग एक **''पारा''** मुहल्ले के रूप में जंगल एवं पहाड़ों के आसपास कम से कम 5 परिवार एवं अधिक से अधिक 20 से 25 परिवारों की बसाहट देखने को मिलता है। बिरहोर जाति के गांव मूल ग्राम से कम से कम 1–2 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वहां तक जाने के लिए कच्ची सड़क (पगडंड़ी) होती है। जो कि उनके द्वारा स्वनिर्मित होती है। ग्राम में घरों की बनावट सभी बिरहोर ग्रामों में एक–समान नहीं होती है कई गांवों में मकान मुख्य गली के दोनों तरफ होती है। **कुछ टांडो में गोति ओरा (केवल युवाओं और अविवाहित बिरहोरों के लिए सोने का स्थान) होता है।**

बिरहोर जनजाति की बसाहट सामान्य अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। बिरहोर जनजाति अपने रहन– सहन के तरीको के कारण मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है:–

1 . जंगही या धानिया (बसे)

2 . उथलु या भूलिया (घुमक्कड़)

उथलू बिरहोर हमेशा अपना स्थान बदलते रहते है, जबकि जंगही बिरहोर अपेक्षाकृत अधिक स्थायी निवास रखने वाले होते है। इन लोगो ने स्थायी रूप से कृषि के लिए जंगल की कुछ भूमि साफकर ली है, लेकिन इनमें से अधिकतर भूमिहीन है। बिरहोर के आवास स्थान को **टांडा** का नाम से जाना जाता है एक **टांडे** में आधा दर्जन या उससे कुछ अधिक झोपड़ियां होती है। झोपड़ी को (कुड़िया) भी कहते है इन झोपड़ियों का निर्माण पत्तों, पेड़ो की टहनियों, घास–फूस एवं लकड़ी से होता है। प्रत्येक परिवार की झोपड़ी दो हिस्सों में विभाजित होती हैं इसमें एक हिस्से का इस्तेमाल स्टोर या विभिन्न वस्तु के भण्डारण के लिए होता है जबकि दूसरे हिस्से का प्रयोग रसोई या सोने के लिए होता है।

# भौतिक संस्कृति

सामान्यत: इनके घरेलु उपकरणों में मिट्टी एवं एल्युमिनियम के बर्तन, धान कूटने का मूसल तथा ढेंकी, बांस की टोकरी, टोकरा, सूपा, ओढ़ने बिछाने के पर्याप्त साधन होते हैं। ये लोग नीचे पैरा (पुवाल) बिझाकर या चटाई पर सोते है, जाड़े के मौसम में पूरा परिवार अलाव जलाकर उसके चारों ओर सोता है।

मूसल व बहना अनाज कूटने का कार्य किया जाता है

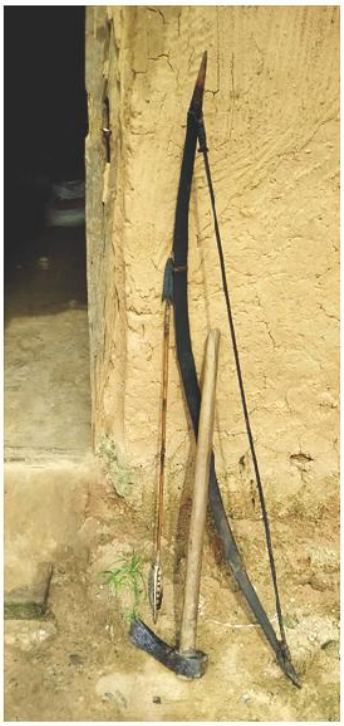

कृषि उपकरणों में लोहे धातु से बनी हुई कुल्हाड़ी, नांगर, टंगिया, शिकार उपकरणों में तीर कमान, हसिया, गुलेल एवं मत्स्य शिकार हेतु जाल, बांस की चोरिया, बंदर पकड़ने का जाल, छोटे जीव–जन्तुओ के शिकार के जाल, रस्सी बनाने का परम्परागत उपकरण आदि होते है।

पहले पुरूष सामान्यतः लगोटी या छोटा पंछा पहनते थे एवं स्त्रियां बिना ब्लाउज के साड़ीनुमा कपड़ा **लुगड़ा** पहनती थी, वर्तमान में कुछ पुरूष पेंट–कमीज, लूंगी व धोती पहनते हैं वही महिलाएं ब्लाउज के साथ साड़ी पहनती है जबकि बालिकाएं फ्राक एवं सलवार

कमीज पहनने लगी हैं।स्त्रियां पीतल, गिलट आदि की हाथ में **पट्टा या ऐठी, गले में माला, कान में खिनवा, नाक में फुल** पहनती है। आभूषण के रूप में महिलाएं अपने शरीर पर हाथी गोदना, फलवारी गोदना, चूड़ी गोदना एवं मछली आकृति के गोदना परंपरागत रूप से गुदवाती है।

मनोरंजन हेतु बिरहोर जनजाति मे परम्परागत लोकगीत परस्पर युवक–युवतियो द्वारा गायन व लोकनृत्य किया जाता है। इन अवसरों पर प्रमुख वाद्ययंत्रों जैसे नागाड़ा, मांदर, ढोल, लोहरी, डफली का उपयोग किया जाता है। ये सालेहा व पोटे नामक वृक्ष की लकड़ी से ढोलक, मांदर की खोल, ढेढी, बेहगा आदि बनाकर बेचते है।

# आर्थिक जीवन

इनका मुख्य कार्य शिकार करना जंगली कंदमूल, भाजी, जंगली वनोउपज एकत्र करना है। मोहलाइन छाल की रस्सी व बांस के टुकना, झऊहा बनाकर भी बेचते है।

घर के आस–पास की भूमि में साठी, धान, मक्का, कोदो, उड़द आदि भी बो लेते है। इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो की पेज, बेलिया, कुल्थी, उरद की दाल, जंगली कंदमूल व मौसमी साग भाजी है।

मांसाहार में मुर्गी, बकरा, मछली, चूहा, केकड़ा, कछुआ, खरगोश, सुअर आदि जंगली पक्षियों का मांस का उपभोग करते है। इनका खाद्य पदार्थ, अनाज खत्म हो जाते है तो ये जंगल से नकौआ कांदा डिटे कांदा, पिठास कांदा या लागे कांदा खोदकर लाते है इसे भूनकर या उबालकर खाते है वर्षा ऋतु में मछली भी पकड़ते है।

महुआ तथा हड़िया शराब इनका मुख्य पेय पदार्थ है जिनका इनके जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक महत्व है। महुआ शराब का निर्माण जहां महुआ से किया जाता है तो वही हडिया का निर्माण चावल से किया जाता है।

# सामाजिक संरचना

बिरहोर कई गोत्रों में विभक्त होते है जिनका नामकरण जीव–जन्तुओं, फलों या फूलों के नाम पर होता है ये लोग पितृसत्ता को मानते है एक ही गोत्र में विवाह प्रतिबंधित है, इनमें बड़े भाई का विवाह छोटे भाई की विधवा से निषेध है। हालाकि बड़े भाई की विधवा से विवाह के लिए छोटे भाई को पहली प्राथमिकता होती है इनमें कई बर्हिविवाही गोत्र पाया जाता है इनके प्रमुख गोत्र **मोनियल, गातिया, बदर गातिया, बघेल, बाड़ी, कछुआ, छतोर, सोनवानी व मुरिहार** आदि है।

साधारणतः एक परिवार में पति–पत्नी और उनके बच्चें रहते है बच्चों की आयु 10 वर्ष से अधिक होते ही उन्हे **युवागृह** अथवा **गोति आरा** में भेज दिया जाता है। यदि परिवार के पास अपनी कोई संपत्ति होती है तो वह

पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। एक से अधिक पुत्र होने की अवस्था में बड़े पुत्र को संपत्ति का अधिक हिस्सा मिलता है इस जनजाति में किसी व्यक्ति की दो पत्नी होने पर बड़ी पत्नी के पुत्र को छोटी पत्नी के पुत्र से अधिक हिस्सा दिया जाता है।

# जीवन चक्र

बिरहोर जनजाति में प्रसव एक बहुत ही अस्थाई लगभग सकरी एक छोटी सी झोपड़ी जिसे **कुड़िया या कुरमा** कहते हैं में होता है। इनमें पारंपरिक प्रसव महिला विशेषज्ञ ''**कुसेर दाई**'' या ''**सूईन–माइन**'' द्वारा कराया जाता है। एक माह तक प्रसूता उसी कुडिया में रहती है और उससे घर का कोई भी काम नही करने दिया जाता क्योंकि वह इस दौरान प्रसूता को धार्मिक रूप से अपवित्र मानते हैं। सातवे दिन छठी मनाते है जिसमें प्रसूता व नवजात शिशु को नहलाकर सूरज का दर्शन कराते हैं। अतिथियों /रिश्तेदारों को महुए की शराब या हड़िया पिलाते है।

कूमा – बिरहोर जनजाति में गर्भवती महिलाओं का प्रसव विशेष रूप से निर्मित इस झोपड़ी में कराया जाता है

इनमे लड़के–लड़कियों को शारीरिक रूप से परिपक्व होने पर विवाह योग्य माना जाता है। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है विवाह तय होने पर वर के पिता वधु के पिता को दो खण्डी चावल, पांच कुडो दाल, दो हडिया शराब, लड़की के लिए साड़ी (**लुगड़ा**) **तथा मायसारी** सुक या वधूमूल्य के रूप मे देता है। विवाह की रस्म बिरहोर जाति का **ढेडा** (**पुजारी**) सम्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त ''**पतरा**'' विवाह जिसे **बुकू विवाह** भी अधिमान्य हैं। उढ़रिया विवाह अर्थात एक प्रेमी युगल उनके माता पिता की असहमति होने पर घर से भागकर एक साथ रहने लगते है। गोलन (विनिमय) विवाह विनिमय अर्थात एक परिवार के स्त्री विवाह के बदले वर पक्ष के परिवार की स्त्री से ब्याह करना इसके अतिरिक्त विधवा तथा विवाहिता को दूसरे व्यक्ति के साथ पुन विवाह की अनुमति है।

बिरहोर जनजाति के व्यक्ति की मुत्यु होने पर व्यक्ति के शव को भूमि पर गाढ़ने या दफनाने की प्रथा है जिसमें उसके साथ उपयोग किए जा रहे घरेलु सामानों को भी गाड़ा जाता है। इन जनजाति में **'बिस्सर खाने'** की प्रथा पायी जाती है।

# परम्परागत न्याय व्यवस्था

इनमें परम्परागत जाति पंचायत पाई जाती है जाति पंचायत का प्रमुख **मालिक** कहलाता है। इनमें सामाजिक संगठन ग्राम स्तर पर किसी बुजुर्ग एवं अनुभवी व्यक्ति को ग्राम प्रमुख (मुखिया)/ मालिक बनाया जाता है। इस पंचायत में **ढूकू विवाह, सह पलायन,** विवाहित का पहले पति को छोड़ **पुर्न विवाह, पुर्न विवाह करने पर ''सूक''** वापस करना अनैतिक संबंध आदि का परम्परागत तरीके से न्याय किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर सामाजिक नियमों का उलंघन, आपसी विवाद होने पर ग्राम स्तर पर बैठक बुलाया जाता है। इस बैठक में ग्राम प्रमुख अपना निर्णय देता है, जिससे सभी बिरहोर मानते है। बिरहोर जनजाति में आपसी झगड़े–लड़ाई को ग्राम स्तर पर ही निपटारा किया जाता है।

ग्राम स्तर पर मामले न सुलझ पाने की स्थिति में कई बिरहोर ग्रामों से मिलकर बनी जाति पंचायत में मामले सुलझाये जाते है।

# धार्मिक जीवन एवं लोककलाएं

बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सूरज (सूर्य) है इसके अतिरिक्त बूढ़ी माई, मरी माई, पूर्वज पहाड़, पूर्वजो, देवीमाय, महामाया, दरहाबोगा, कुदरी, धोगा, बनहीमाय, लुगुमाय, ढुकाबोगा, आदि की पूजा विशिष्ट अवसरों पर करते है। पूजा में घर पर निर्मित मंद चढ़ाते है तथा मुर्गी, बकरा, सुअर आदि पुजई देते है इनका प्रमुख त्यौहार, नवाखानी, सरहुल करमा, सोहराई और फगुआ है भूत–प्रेत, टोना–जादू आदि पर काफी विश्वास करते है इनके मंत्र–तंत्र व जड़ी बूटी जानने पहचाने वाला **पाहन** कहलाता है।

बिरहोर जनजाति के लोग **करमा, फगुआ, बिहाव** नाच आदि नाचते है इनके लोकगीत में करमा गीत, फगुआ गीत, विवाह गीत प्रमुख है इनके प्रमुख वाद्य यंत्र **नगाड़ा, मादर, ढोल, लोहरी, ढफली, टिमकी** आदि है। पारंपरिक एवं मौलिक त्यौहार ''**नवा तिहार**'' (नवाखानी) है। ''**छेरता**'' त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

# शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं

बिरहोर जनजाति के बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों की स्थिति लड़कियों से अच्छी पाई गई है किन्तु दशकों में बिरहोर जनजाति में कुछ सुधार हुआ है विशेषत: महिला साक्षरता के दर में वृद्धि पाई गई है बिरहोर समाज लड़कियों एवं लड़कों के जन्म में भेदभाव नही करता है और लड़कियों की स्कूलों में भागीदारी पहले से बेहतर बनी है लड़कियों की शिक्षा की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वह अपने से छोटे भाई बहनों के देख रेख एवं घरेलु कार्य में व्यस्त रहती है।

बिरहोर जनजाति बीहड़ जंगल, पहाड़ों और उच्चे टीले पर झोपड़ी बनाकर रहते है शिक्षा के अधोसंरचनात्मक विकास जैसे विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक शाला, आवासीय आश्रम शालाएं शासन द्वारा स्थापित की गई है। जिससे इस जनजाति मे भी शिक्षा के प्रति रूचि में वृद्धि देखने को मिलती है। पहली बार बिरहोर

समाज की एक बालिका कु. निर्मला पिता कुंवर राम बिरहोर माता बिरसमनी ग्राम झरगांव, विकासखण्ड दुलदुला, जिला जशपुर द्वारा कक्षा 12वी की बोर्ड परीक्षा में 58 प्रतिशत अंको के साथ सफ्लता प्राप्त की गई है जो बिरहोर समाज के अन्य बालक–बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत है।

बिरहोर जनजाति की स्वास्थ्य के संदर्भ में इनकी अधिकांश जनसंख्या कुपोषण से पीडित है जिनमें महिलाओं एवं बच्चों की संख्या अधिक है साथ ही इनमे चर्मरोग, दांतो की बीमारी, डायरिया, घेंघारोग दिखाई पड़ते है। बिरहोर जनजाति आज भी विभिन्न बीमारियों का उपचार परम्परागत रूप से **''देवार'' या ''पाहन''** के द्वारा कराते है।

# परिवर्तन एवं विकास

बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के समग्र विकास हेतु शासन द्वारा बिरहोर विकास अभिकरण गठित कर उनके सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं संचालित है।

विकास अभिकरण के माध्यम से उन्हें स्थायी कृषि हेतु अग्रसर करने अधिकतर भूमिहीन बिरहोर परिवारों को कृषि भूमि उपलब्ध कराया

जाकर, भूमि समतलीकरण हेतु आर्थिक सहयोग, कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधा, उन्नत बीज वितरण, पशुपालन एवं स्वव्यवसाय हेतु सहायता प्रदाय की गई है।

शासन द्वारा इंदिरा/प्रधानमंत्री आवास योजना वन अधिकार पट्टा

एवं अन्य कृषि उपकरण पशुपालन, पेयजल योजना, आंगन बाड़ी, पहुंच मार्ग, विद्युत कनेक्शन, प्राथमिक शाला आदि से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्रामों में सामुदायिक विकास के दृष्टिगत तालाब निर्माण, हैण्डपंप, सिंचाई पंप, विद्युतीकरण, पुल–पुलिया, रपटा मार्ग निर्माण आदि योजनाएं भी संचालित है। उपरोक्त योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव उनके सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला'' क्र. 06 बिरहोर

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Email: trti.cg@nic.in
Ph: 0771-2960530, Fax 0771-2960531